



**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय**  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX**



**एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003**

**N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003**

वेबसाइट/WEBSITE : <http://www.centralexciseaurangabad.gov.in>

ई-मेल/E-mail : [cexauran@excise.nic.in](mailto:cexauran@excise.nic.in)

फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

फा.सं. VIII(सी.शु.)124/टी.ए./डी.बी.के./13

दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

**जनसूचना संख्या 07/सीमा शुल्क/2016**

विषय:- प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों और अन्य प्रतिअदायगी से संबंधित परिवर्तन - की बाबत ।

सभी आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर्स, ट्रेड एसोशिएशनों तथा ट्रेड सदस्यों का ध्यान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 50/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 31.10.2016 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31.10.2016 के द्वारा प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों (ए.आई.आर) में संशोधन किया है जो कि दिनांक 15.11.2016 से लागू होगी । इन एआईआर में मोटे तौर पर संगत औसत मानदंडों को ध्यान में रखा गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आदानों की प्रचलित कीमतें, आदान-निर्गत मानक, आदानों की खपत में आयात का हिस्सा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की दरें, निर्यात माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में आदान सेवाओं के रूप में प्रयुक्त कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर के भार की आढत, एचएसडी/फर्नेस ऑयल पर लगाए गए शुल्क के भार की आढत, निर्यात वस्तुओं की कीमत इत्यादि शामिल है । अधिसूचना को बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और परिवर्तनों के ब्यौरों को सावधानी पूर्वक गौर किया जाए । कुछ परिवर्तनों को नीचे दर्शाया गया है :

- (क) अध्याय 45, 46 और 68 में दिए गए कतिपय वस्तुओं पर ए.आई.आर. दिया गया है ।
- (ख) कुछ उत्पाद, जिन पर पहले केवल सीमाशुल्क की एआईआर लागू थी, अब संचित दरें लागू कर दी गई हैं । इन वस्तुओं में अध्याय 40 के रबबर से बने पुर्जे (ऑटोमोबाइल और अन्य मशीनों के लिए) और अध्याय 49 के बच्चों के चित्र, ड्राइंग, कलरिंग बुक्स आदि, शामिल है ।
- (ग) विवाद रोकने और सरलीकरण बढ़ाने हेतु कुछ विशेष प्रकार के टैरिफ मदों के विवरण में परिवर्तन किया गया है । इन वस्तुओं में अन्य के अलावा पैकेट राइस, रबबर पार्टस, चमड़े की बनी कुछ वस्तुएं, लेगिंग्स, फ्रॉक्स, बाइसाईकिल्स, सुरक्षा परख स्पोर्ट गियर आदि आते हैं ।
- (घ) उत्पादों में बेहतर ढंग से अंतर सुनिश्चित करने के लिए कतिपय वर्तमान टैरिफ मदों को हटा कर या उनको बदल कर अलग टैरिफ लाइन बनाई गई है जिनमें सुरमी फिश पेस्ट (अध्याय 10), बेल्टस (अध्याय 39), लेदर वोवेन/ब्रेडेड हैंड बैग (अध्याय 42), हैंड बैग्स/वैलेट्स आदि जो कि प्लास्टिक और या टेक्सटाइल मैटेरियल से बने हो (अध्याय 42), रिस्ट बैंड्स/टाई पिंस/नेकलेस

जो कि चमड़े से बने हो (अध्याय 42), फिश नेट/स्पोर्ट्स नेट जो कि अलग अलग वस्तुओं से बनी हो (अध्याय 56/95), कुर्ता और सलवार/सलवार सुट्स/सलवार कमीज/चुडीदार कमीज/दुपट्टा के साथ और बिना दुपट्टा के (अध्याय 61 और 62), ब्लैकेट्स आदि जो मिश्रित सुती और एमएमएफ वस्त्रों से बने हो (अध्याय 63), ग्लास आर्टवेयर/हैंडीक्राफ्ट जिसमें चेंट्स लगे हों (अध्याय 70), धातु/स्टेनलेस स्टील की ट्यूब्स और पाइप फिटिंग्स (अध्याय 73), इंजन क्षमता के चार श्रेणी और प्रत्येक में मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की उप-श्रेणी पर आधारित मोटर कार (अध्याय 87), एल्युमिनियम से बनी साईकिल फ्रेम (अध्याय 87), मुलायम खिलौने (अध्याय 95) शामिल हैं।

(ड) अधिसूचना के नोट और शर्तों में प्रतिअदायगी सूची के अध्याय 42 में आने वाले चमड़े की वस्तुओं के दायरे में विस्तार कर इसमें ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसकी बाहरी या आंतरिक सतह 60 प्रतिशत या इससे अधिक चमड़े की हो। ऐसी नई डिजाइन और व्यवसायिक तरीकों को देखते हुए किया गया है।

(च) विभिन्न अध्यायों में दी गई अवशिष्ट दरों को (सीमा शुल्क) 1.9 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत से घटाकर 1.1 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. इस अधिसूचना में उन निर्यात परिधानों के वैकल्पिक एआईआर को भी निर्धारित किया गया है जिनका विनिर्माण अधिसूचना संख्या 45/2016-सीमाशुल्क दिनांक 13.08.2016 के अनुसार निर्यात दायित्वों को पूरा करने में किया गया है। इन वैकल्पिक एआईआर का दावा करने के क्रम में, उस स्थिति में जब सेनवेट सुविधा का फायदा नहीं उठाया गया है अथवा जब सेनवेट सुविधा का फायदा उठाया गया है, सामान्य प्रत्यय 'क' अथवा प्रत्यय 'ख' के स्थान पर संबंधित टैरिफ मद के पश्चात क्रमशः प्रत्यय 'ग' अथवा प्रत्यय 'घ' को जोड़ा जाना है। परिपत्र संख्या 37/2016-सीमाशुल्क में दी प्रक्रिया लागू की जाए।

3. अधिसूचना का पैरा 3, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 7, के उप-नियम (3) की शर्तों के अनुसार सीमा शुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा अनंतिम प्रतिअदायगी के रूप में किए जाने वाले भुगतान की धनराशि विनिर्दिष्ट करता है। यह निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की तदनुसूची एआईआर के सीमा शुल्क घटक, यदि लागू हो के समतुल्य है और उन सभी शर्तों के अद्यधीन है जो कि उस घटक के दावे लागू हैं। इस वितरण के अंतर्गत अनंतिम प्रतिअदायगी के रूप में अदा की धनराशि को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा ब्रांड दर मामलों में 11.10.2003 के अनुदेश संख्या 603/01/2011-प्रतिअदायगी के पैरा 5क से 5ग के अनुसार इस सुविधा को जारी रखते हुए अंततिम प्रतिअदायगी (जहां कहीं आवश्यक हो) की प्राधिकारिता के संबंध में ध्यान में रखा जाए।

4. एआईआर के दावे के अंतर्गत पैकेज्ड चावल के निर्यात के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि - (क) जहां किसी भी सामग्री के बने मास्टर पैक में, टैरिफ लाइन में विनिर्दिष्ट सामग्री और पैक के आकार के अनुसार पैकेज्ड चावल है तो पात्र प्रतिअदायगी की दर, पैक आकार की प्रतिअदायगी दर है; और (ख) जहां टैरिफ लाइन में निर्धारित पैकेजिंग सामग्री के अलावा अन्य सामग्री के छोटे पैक हैं जो टैरिफ लाइन में विनिर्दिष्ट सामग्री से बने हुए मास्टर पैक में पैक है तो पात्र प्रतिअदायगी की दर, मास्टर पैक के आकार पर लागू प्रतिअदायगी की दर होगी।

5. यह नोट किया गया है क्षेत्रीय कार्यालय अलग-अलग प्रतिअदायगी टैरिफ लाइन, जिसमें एआईआर 4-अंकीय स्तर पर प्रदान की जाती है अपितु 4-अंकीय विवरण विनिर्दिष्ट रूप से "कल-पुर्जे" शब्द को नहीं दर्शाता है, के अंतर्गत मशीनों के कल-पुर्जे के संबंध में प्रतिअदायगी की अनुज्ञेयता के मुद्दे को निर्यातकों के साथ उठाते रहते हैं। प्रतिअदायगी अनुसूची अधिसूचना संबंधी टिप्पणी और शर्तों में यह विनिर्दिष्ट

किया गया है कि प्रतिअदायगी अनुसूची की टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण के अनुसार 4-अंकीय स्तर पर एक समान बनाया गया है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या संबंधी सामान्य नियम, प्रतिअदायगी अनुसूची में सूचीबद्ध निर्यात की वस्तुओं को वर्गीकृत करते समय आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। तथापि, प्रतिअदायगी अनुसूची में इस स्थिति की परवाह नहीं करते हुए कुछ कल-पुर्जे टिप्पणियों और शर्त 3(II) के अनुसार वर्गीकृत है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि मशीनों के कल-पुर्जे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद के अंतर्गत आएंगे जब तक उन्हें टिप्पणियों और शर्तों में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

6. एआईआर में संशोधन के अलावा केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में नियम 8 के उप-नियम (1), जो कि यदि प्रतिअदायगी की धनराशि निर्यात की एफओबी कीमत के 1 प्रतिशत से कम है, सिवाय उन मामलों के जिनमें प्रतिअदायगी लदान की धनराशि 500 रूपए से अधिक हो, ऐसे निर्यात पर (डाक के माध्यम से निर्यात अथवा अग्रिम प्राधिकारित के अंतर्गत निर्यात के अलावा) अखिल औद्योगिक दर अथवा ब्रांड दर प्रतिअदायगी की अनुमति नहीं देता है, को दिनांक 31.10.2016 की अधिसूचना संख्या 132/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) से विलोपित करने के लिए संशोधन किया है। यह विलोपन 15.11.2016 से प्रभावी है।

7. व्यापार सुविधा की दृष्टि से, किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर शीघ्रता से गौर करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रतिअदायगी समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, 1.1% और 1.5% की संशोधित अवशिष्ट दर से अधिक के लिए, अवशिष्ट दरों के उत्पादों के निर्यातक डेटा के साथ तुरंत, यदि हो, आगे आ सकते हैं।

8. सभी आयातकों/सीमा शुल्क ब्रोकरों/ट्रेड एसोसिएशन्स तथा ट्रेड सदस्यों से अनुरोध है कि वे जनसूचना की विषयवस्तु को नोट करें तथा सभी सदस्य संगठनों में परिचालित तथा प्रकाशित करें।

ह./-15.12.2016

(सी. एल. महर)

आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत:-

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, नागपुर जोन, नागपुर को पत्र क्रमांक फा.सं. VIII(सी.शु.)17-89/मु.आ.का./एन.जेड/2016/11048, दिनांक 03.11.2016 के संदर्भ में।

प्रति प्रेषित:-

1. सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), आई.सी.डी., मालीवाड़ा/वालुज।
2. सहायक आयुक्त (संगणक), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, मुख्यालय, औरंगाबाद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
3. नोटिस बोर्ड।